भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन सं. ए—27012 / 02 / 2017—स्थापना.(एएल) दि.16.8.2017 व समय समय पर जारी स्पष्टीकरण अनुसार 1.7.2017 से देय बाल शिक्षण भत्ता की प्रतिपूर्ति हेतू आवेदन फॉर्म

Application form for reimbursement of Children Education Allowances (CEA)/Hostel Subsidy w.e.f. 1.7.2017 as per DOP&T, OM No. A-27012/02/2017-Estt.(AL) dated 16-8-2017 & subsequent clarifications received from time to time

1.	सरकारी कर्मचारी का नाम व पद					
	Name of Govt. Employee & Designation					
2.	कर्मचारी का ईआरपी संख्या Employee ERP Nun					
3.	बैंक अकाउंट ब्यौरा					
	Bank Account Details (Account No., Bran					
4.	बच्चे का नाम एवं कक्षा जिसके लिए भत्ते का					
	Name of Child & Class forwhich allowan					
5.	बच्चे की जन्म तिथि Date of Birth of the ch					
6.	विद्यालय का नाम(फोन नंबर सहित पूरा पता)					
	Name of School (Full Address with phone					
7.	वह स्थान जहाँ सरकारी कर्मचारी रह रहा है (हॉस्टल सब्सिडी दावे के		5			
	मामले में)					
	Place where the Govt. servant is residing (In case of					
8. दावा की गई विभिन्न राशियों का ब्योरा Details of various amounts claimed:						
क्र.स	. ब्योरा	अवधि	रसीद संख्या आदि	भुगदान की गई राशि		
S.N.	Description	Period	Receipts No. etc	Amount Paid		
1.	विद्यालय फीस School Fee					
2.						
3.						
कुल योग Total*						

मैं यह प्रमाणित करता / करती हूँ कि I Certify that :-

संलग्न Encls:

- 1.यह कि मेरे पहले दो बड़े जीवित बच्चे जोकि पूर्णतया मुझ पर आश्रित हैं एवं प्रतिपूर्ति के पात्र हैं, मेरे द्वारा उनकी शिक्षा पर व्यय किया गया है। The above expenditure incurred by me on the education of my two eldest surviving children wholly dependent upon me and eligible for reimbursement.
- 2. यह कि मूल (ऑरिजनल) विद्यालय की फीस जमा कराने संबंधी स्कूल कार्ड, बैंक चालान/पेड रसीद/खरीद संबंधी नकद बिल आदि संलग्न हैं। The original copies of School card/ Bank challans/paid up Receipts/ purchase receipts in original are enclosed.
- 3. मेरी पत्नी / पति उपरोक्त आवेदित बाल शिक्षण भत्ते / हॉस्टल सब्सिडी के लिए अपने विभाग में दावा नहीं कर रहे हैं। That my wife/husband is not claiming any C.E.A./Hostel Subsidy from his/her department.
- 4. यह कि मेरे द्वारा एक ही कक्षा के लिए दुबारा बाल शिक्षण भत्ते / हॉस्टल सब्सिडी के लिए दावा नहीं किया गया है।(यदि बच्चा अनुत्तीर्ण हो जाता है तो बच्चे का परीक्षा परिणाम संलग्न कर दिया जाएगा।)

That the C.E.A./ Hostel Subsidy is not claimed by me for the same class. (The result of the examination will be attached if the child is failed).

- 5. यह कि दावे की अविध में मेरा बच्चा नियमित रूप से विद्यालय गया था व विद्यालय की अनुमित के बिना एक माह से अधिक अनुपस्थित नहीं रहा।
  That during the period covered by the claim the child attended the school regularly and did not absent from the school without proper leave for a period exceeding 1 month.
- 6. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त ब्योरे में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, जिससे मेरी बाल शिक्षण भत्ते की पात्रता प्रभावित होती है तो मैं यह वचन भी देता/देती हूँ कि मैं इस बारे में शीघ्रता से अवगत कराते हुए मुझे अधिक भुगतान हुई राशि को लौटा दूँगा/दूँगी।

That in the event of any change in the particulars given above which affect my eligibility for Children Education Allowance. I undertake to intimate the same promptly and refund excess payment, if any made to me.

intimate the same promptly and refund excess payment, if any made to me.				
देनाँक Date:				

<sup>\*</sup>कुल योग को अधिकतम सीमा अर्थात् बाल शिक्षण भत्ता को रू.27,000 व हॉस्टल सब्सिडी को रू.81,000 तक सीमित किया जाएगा।

<sup>\*</sup> Total may be restricted to maximum ceiling of Rs.27,000 p.a. for CEA & Rs. 81,000/- p.a. for Hostel Subsidy.

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्याः ए—27012 / 02 / 2017—स्थापना(ए.एल.) दिनॉक 16.8.2017 के प्राधिकार के अनुसार Under the authority vide Government of India, Ministry of Personnel, P.G. and Pensions, Department of Personnel & Training, New Delhi, Office Memorandum No. No.A-27012/02/2017-Estt.(AL) 16.8.2017

(यह आदेश 1.7.2017 से प्रभावी होगा This order shall be effective from 1st July, 2017)

## संस्थान के प्रमुख / विद्यालय प्रधान के द्वारा प्रमाण पत्र(बाल शिक्षण भत्ते की प्रतिपूर्ति हेतु) CERTIFICATE FROM THE HEAD OF INSTITUTION/SCHOOL (FOR REIMBURSEMENT OF CEA)

संदर्भ संख्या / Ref. No	दिनाँक / Date :
	कि इस विद्यालय/संस्थान के रिकॉर्ड के अनुसार प्रवेश संख्या
	के पुत्र/पुत्री
	इस विद्यालय(विद्यालय/संस्थान का नाम)
	ग संख्या/कोडएवं पैटर्नएवं पैटर्न
	, वर्ग, रोल नंबर
में दिनॉक से	
	and the state of t
It is certified that as per reco	rd of this school/institution, Master/Kumari (Name
of student)	
having Admission No D	O.O.B, Son/Daughter of
Mr/Mrs	was studying in Class
Section Roll No	during the previous academic year
fromto	in this school/institution, namely
	vide affiliation Regd.
No./Codeand Pattern	Curriculum
स्थान Place:-	
दिनाँक Date:-	

प्रधानाचार्य/संस्थान/विद्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर Signature of Principal/Head of Institution/School (विद्यालय/संस्थान की मुहर Affix School Stamp)